

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 50 / 2012  
संस्थान दिनांक 13.02.2012

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र अंजड़,  
जिला—बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

1. मंशाराम पिता किशन धनगर, आयु 35 वर्ष,
2. कालु पिता किशन धनगर, आयु 42 वर्ष,
3. किशन पिता माध्या धनगर, आयु 70 वर्ष,  
सभी निवासीगण—धनगर मोहल्ला,  
ग्राम मण्डवाड़ा, तहसील अंजड़  
जिला—बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्तगण

//निर्णय //

(आज दिनांक 25.05.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 30 / 2012 अंतर्गत 341, 294, 323, 506 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. में दिनांक 13.02.2012 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 05.02.2012 को समय शाम लगभग 6:00—7:00 बजे, जियालाल के मकान के सामने ग्राम मण्डवाड़ा में फरियादी जगदीश, जियालाल व संतोष का रास्ता रोका और उन्हें सदोष अवरोध कारित करने, फरियादीगण को मौं—बहन की अश्लील गॉलिया सार्वजनिक स्थान पर देकर उन्हें व अन्य व्यक्तियों को क्षोभ कारित करने, अभियुक्तगण ने सामान्य आशय से फरियादीगण जगदीश, जियालाल व संतोष को लकड़ियों से मारपीट कर स्वैच्छया साधारण उपहति कारित करने तथा फरियादीगण को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में अभियुक्तों पर धारा 341, 294, 323, 506 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि प्रकरण पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 05.02.2012 को शाम को 6-7 बजे फरियादी जगदीश के साथ जियालाल व संतोष बाजार जा रहे थे कि उसके गाँव का कालु, मंशाराम, किशन, दीपक आये और फरियादीगण का रास्ता रोककर माँ-बहन की अश्लील गॉलिया देने लगे और कहने लगे कि उनके जानवरों को निकलने क्यों नहीं देते और अभियुक्त मंशाराम ने लकड़ी फरियादी जगदीश को मारी जो दाहिने हथेली में लगी। अभियुक्त कालु ने लकड़ी मारी जो दोनों पैरों की पिण्डली में लगी। जियालाल एवं संतोष द्वारा समझाने पर सभी अभियुक्तों ने मिलकर जियालाल एवं संतोष को लकड़ियों से मारा जिससे हाथ, पैर, कंधे व पीठ पर चोटें आईं। घटना में बीच-बचाव पुनीबाई, कैलाश ने किया। सभी अभियुक्तगण ने फरियादीगण को जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने फरियादी जगदीश द्वारा दी गई घटना की सूचना के आधार पर अभियुक्तगण मंशाराम, कालु, किशन के विरुद्ध अपराध क्रमांक 30/2012 अंतर्गत धारा 341, 294, 323, 506 सहपठित धारा 34 भा.द.स. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्शपी 1 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने फरियादी जगदीश की निशादैही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 बनाया। पुलिस ने अभियुक्तगण मंशाराम एवं कालु से साक्षियों के समक्ष एक-एक बांस की लकड़ी जप्त कर क्रमशः प्रदर्शपी 8 व 9 के जप्ती पंचनामे बनाये, अभियुक्तगण मंशाराम, कालु एवं किशन को गिरफ्तार कर क्रमशः प्रदर्शपी 10 लगायत 12 के गिरफ्तारी पंचनामे बनाये थे व अनुसंधान के दौरान फरियादी जगदीश, साक्षीगण पुनीबाई, कैलाश, संतोष व जियालाल के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे तथा अभियुक्तों के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र अंतर्गत धारा 341, 294, 323, 506 सहपठित धारा 34 भा.द.स. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी, तत्कालिन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 341, 294, 323/34, 506 सहपठित धारा 34 भा.द.स. के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्तों को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तों ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्तों ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है तथा बचाव में साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है कि –

1. क्या अभियुक्तों ने दिनांक 05.02.2012 को समय शाम लगभग 6:00-7:00 बजे, जियालाल के मकान के सामने ग्राम मण्डवाड़ा में फरियादी जगदीश, जियालाल व संतोष का रास्ता रोका और उन्हें सदोष अवरोध कारित किया ?

2. क्या अभियुक्तों ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादीगण को माँ-बहन की अश्लील गॉलिया सार्वजनिक स्थान पर देकर उन्हें व अन्य व्यक्तियों को क्षोभ कारित किया ?

3. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तों ने सामान्य आशय से फरियादीगण जगदीश, जियालाल व संतोष को लकड़ियों से मारपीट कर स्वैच्छया उपहति कारित की ?

4. क्या अभियुक्तों ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादीगण को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में जियालाल(अ.सा.1), जगदीश (अ.सा.2), संतोष (अ.सा.3), कैलाश (अ.सा.4), डॉ. विमलेश चोयल (अ.सा.5), सहायक उपनिरीक्षक राजेन्द्रसिंह (अ.सा.6) एवं सहायक उपनिरीक्षक आर.एस. मण्डलोई (अ.सा.7) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्तों की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

### साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार विचारीय प्रश्न क्रमांक 3 के संबंध में

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी जगदीश अ.सा.2 का कथन है कि वह अभियुक्तों को जानता है तथा जियालाल व संतोष को भी जानता है। घटना लगभग ढेड वर्ष पूर्व की है। अभियुक्तों एवं फरियादीगण के मध्य उनके घर के सामने विवाद हो रहा था। वह घटना के समय घर से खेत की ओर जा रहा था। उसके साथ किसी ने मारपीट की थी। इसके अतिरिक्त उसे घटना के संबंध में जानकारी नहीं है। इस साक्षा को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने प्रदर्शपी 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं लेकिन साक्षी ने पुलिस को प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट में बी से बी भाग और पुलिस कथन प्रदर्शपी 3 देने से इंकार किया है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि अभियुक्तों ने उसका, जियालाल व संतोष का रास्ता रोककर उन्हें अश्लील गॉलिया दी थी और मारपीट की थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि है कि वह अभियुक्तों के समाज का है, लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि वह अभियुक्तों को बचाने के लिए असत्य कथन कर रहा है। बवाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि जियालाल अभियुक्तों से विवाद करता रहता है व जियालाल अभियुक्तों को लट्ठ लेकर मारने दौड़ा था, उसने थाना अंजड़ पर कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई थी।

8. जियालाल असा 1 का कथन है कि वह अभियुक्तों एवं फरियादी जगदीश को जानता है। लगभग 1 वर्ष पूर्व शाम 6-7 बजे अभियुक्तों ने उसके साथ मारपीट की थी। अभियुक्तगण ने उसके साथ लकड़ी से मारपीट की थी, जिससे उसके पैरों में चोट आई थी। बीच-बचाव करने संतोष एवं जदीश आये थे, तब अभियुक्तों ने उनके साथ भी मारपीट की थी। पुलिस ने उसे ईलाज के लिए अजड़ अस्पताल भेजा था। इस साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि आबकारी विभाग वालों ने उसके विरुद्ध मदिरा का प्रकरण बनाया था, लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि वह मदिरा का व्यापार करता है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने अभियुक्तों से विवाद किया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि घटनास्थल पर जगदीश एवं संतोष बाद में पहुँच गये थे तब थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके साथ जगदीश एवं संतोष भी आये थे। पुलिस ने किसके नाम से रिपोर्ट दर्ज की थी इसकी उसे जानकारी नहीं है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि भैस की टक्कर लगने से उसे गिरकर चोट आई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने अभियुक्तों के विरुद्ध मिथ्या रिपोर्ट लिखाई है अथवा अभियुक्तों को असत्य फंसाया है। साक्षी ने स्वीकार किया कि मंशाराम की रिपोर्ट के आधार पर उसके एवं संतोष के विरुद्ध भी इसी न्यायालय में प्रकरण लंबित है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्तों ने उसके साथ मारपीट नहीं की थी अथवा उसने व अभियुक्तों ने मंशाराम के साथ मारपीट की थी।

9. संतोष अ.सा. 3 ने भी 2 वर्ष पूर्व शाम 6 बजे अभियुक्तों द्वारा उसके सामने त्रिवेणी चौक पर जियालाल के साथ लकड़ी से मारपीट करने के संबंध में कथन किये हैं तथा साक्षी का यह भी कथन है कि वह बीच-बचाव करने गया तो अभियुक्तों ने उसे भी लकड़ी से मारा था। जियालाल को हाथ में खरोँच आई थी और उसे पैर में चोट आई थी। घटना की रिपोर्ट दूसरे दिन प्रातः उसने एवं जियालाल ने थाना अंजड़ पर करवाई थी। पुलिस ने उसे ईलाज के लिए भेजा था। विवाद में जगदीश को भी चोटें आई थीं वह तथा जगदीश बीच-बचाव के लिए गये थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि मंशाराम ने भी जियालाल के विरुद्ध थाना अंजड़ पर घटना के दिन ही रिपोर्ट लिखाई थी। साक्षी ने स्पष्ट किया कि वह तथा जियालाल मदिरा नहीं पीते हैं तथा वह तथा जियालाल मदिरा नहीं बैचते हैं। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि जियालाल ने अभियुक्तों के साथ गाली-गलोच की थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि जियालाल व उसे जानवरों ने टक्कर मार दी थी, जिससे वह गिर गया और उसे चोट आई थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि जियालाल उसके मामा का पुत्र हैं और वह मामा के साथ रहता है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने अभियुक्तों के साथ लटट से मारपीट की थी अथवा वह जियालाल के रिश्तेदार होने से असत्य कथन कर रहा है।

10. कैलाश अ.सा. 5 ने अभियोजन के समर्थन में कोई कथन नहीं किये हैं। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि दिनांक 05.02.2012 को त्रिवेणी चौक पर विवाद की आवाज सुनकर वह गया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्तों ने जगदीश, जियालाल एवं संतोष के साथ मारपीट की थी। यहाँ तक कि साक्षी ने पुलिस को प्रदर्शपी 7 का कथन देने से भी इंकार किया है।

11. सहायक उपनिरीक्षक गजेन्द्रसिंह अ.सा. 7 ने दिनांक 06.02.2012 को थाना अंजड़ में फरियादी जगदीश पिता लिम्बाजी धनगर, निवासी ग्राम मण्डवाड़ा द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध उसके, जियालाल एवं संतोष के साथ मारपीट करने, गाली-गलोच एवं जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट के आधार पर अपराध क्रमांक 30/12 प्रदर्शपी 1 का दर्ज करने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि प्रदर्शपी 1 के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसे फरियादी जगदीश ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई थी। साक्षी ने किशन द्वारा दिनांक 05.02.2012 को जियालाल, कैलाश, जगदीश व संतोष के विरुद्ध असंज्ञेय अपराध क्रमांक 32/12 प्रदर्शपी 1 का दर्ज कराने के संबंध में स्वीकार किया है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि जगदीश अकेला रिपोर्ट लिखाने आया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि दिनांक 02.05.2013 को जियालाल एवं संतोष के विरुद्ध अपराध क्रमांक 95/2013 प्रदर्शपी 2 का दर्ज किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि जगदीश ने उसे प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट नहीं लिखाई थी।

12. सहायक उपनिरीक्षक आर.एस.मण्डलोई ने दिनांक 06.02.2012 को थाने के अपराध क्रमांक 30/12 की विवेचना के दौरान जगदीश के बताये अनुसार प्रदर्शपी 2 का नक्शा मौका पंनामा बनाने, फरियादी एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध करने तथा अभियुक्तों को गिरफ्तार करने तथा अभियुक्त मंशाराम एवं कालु से प्रदर्शपी 8 के अनुसार लकड़ी जप्त करने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि घटनास्थल सीमेंटीकरण रोड़ है और यदि कोई व्यक्ति जमीन पर गिर जाये तो उसे चोट लग सकती है। साक्षी ने स्वीकार किया कि जियालाल के विरुद्ध थाना अंजड़ पर मदिरा के प्रकरण दर्ज है। साक्षी ने स्वीकार किया कि थाना अंजड़ पर अपराध क्रमांक 200/2012 की प्रथम सूचना रिपोर्ट किशन ने जियालाल एवं संतोष के विरुद्ध लिखाई थी जिसकी विवेचना उसके द्वारा की गई थी, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने असत्य विवेचना की है।

13. डॉ. विमलेश चोयल अ.सा. 4 का कथन है कि दिनांक 06.02.2012 को उसने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अंजड़ में आरक्षक सुखलाल द्वारा लाये जाने पर आहत जगदीश पिता लिम्बा, आयु 25 वर्ष निवासी-ग्राम मण्डवाड़ा का चिकित्सीय परीक्षण करने पर उसके दोनों पैरों में सूजन व दाहिने पैर के अंगूठे में रक्त होना पाया था। उसने आहत जियालाल पिता सीताराम, आयु 35 वर्ष, निवासी-ग्राम मण्डवाड़ा का चिकित्सीय परीक्षण करने पर उसके दाहिने कंधे व दाहिने हाथ तथा बायें पैर में सूजन होना पाई थी तथा संतोष पिता मगन आयु 22 वर्ष निवासी-ग्राम मण्डवाड़ा का चिकित्सीय परीक्षण करने पर उसके दाहिने कंधे पर रगड़ का निशान होना पाया था। साक्षी ने तीनों आहतों को आई चोंटें सख्त अथवा बोथरी वस्तु से सामान्य प्रकृति की होना बताया था तथा अपना परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 4 लगातय 6 भी प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि आहतों को आई चोंटें गिरे-पड़ने से आना संभव है, लेकिन तीनों ही आहत साक्षियों ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया कि उन्हें गिरने से चोंटे आई थी।

14. अभियुक्तों द्वारा जियालाल अ.सा. 1 के साथ सख्त अथवा बोथरी वस्तु लकड़ी से मारपीट करके उसे पैर में चोंटें पहुँचाने के संबंध में उसकी साक्ष्य पूर्णतः विश्वसनीय है तथा जियालाल को बचाने के प्रयास में अभियुक्तों द्वारा संतोष एवं जगदीश के साथ भी लकड़ियों से मारपीट करने के संबंध में सभी अभियोजन साक्षियों के कथन पूर्णतः विश्वसनीय है। इस घटना की रिपोर्ट अगले दिन जगदीश अ.सा. 2 ने आहत जियालाल एवं संतोष के साथ जाकर प्रदर्शपी 1 की थाने पर दर्ज कराई थी। यद्यपि जगदीश अ.सा. 2 ने प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट अपने द्वारा नहीं लिखाना बताया है, लेकिन गजेन्द्रसिंह अ.सा. 7 ने जगदीश द्वारा थाने पर आकर प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट लिखवाने के संबंध में स्पष्ट कथन किये हैं। जगदीश अ.सा. 2 ने भी प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं, जिसका कोई भी खण्डन बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है। डॉ. विमलेश चोयल अ.सा. 4 ने उक्त तीनों आहतों का चिकित्सीय परीक्षण करने पर उन्हें प्रदर्शपी 4 लगातय 6 में दर्शित चोंटें सख्त अथवा बोथरी वस्तु से आना पाई थी। यद्यपि आर.एस मण्डलोई अ.सा. 8 ने प्रकरण के आहत जियालाल एवं संतोष के विरुद्ध किशन द्वारा प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट लिखाना स्वीकार किया है और गजेन्द्रसिंह असा 7 ने दिनांक 05.02.2012 को किशन द्वारा जियालाल, कैलाश एवं सांतोष के विरुद्ध अदम चेक क्रमांक 32/12 लिखाना स्वीकार किया है, लेकिन उक्त स्वीकारोक्ति से अभियुक्तों द्वारा आहत संतोष, जियालाल एवं जगदीश को पहुँचाई गई चोंटों के संबंध में अभियोजन का मामला शंकास्पद नहीं होता है क्योंकि यदि प्रकरण के साक्षी एवं फरियादीगण के विरुद्ध भी कोई अपराध दर्ज है तो इससे वर्तमान प्रकरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

15. जगदीश अ.सा. 2 ने स्वयं के साथ अभियुक्तों द्वारा मारपीट नहीं करना बताया है, लेकिन साक्षी ने प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट थाने पर लिखाई थी। उक्त रिपोर्ट में भी अभियुक्तों द्वारा उसके साथ मारपीट किये जाने का उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तों द्वारा जगदीश अ.सा. 2 के साथ संख्त अथवा बोथरी वस्तु से स्वैच्छया उपहति कारित किये जाना प्रमाणित नहीं होता है, लेकिन अभियोजन की साक्ष्य से अभियुक्त मंशाराम, किशन एवं कालु द्वारा आहत जियालाल एवं संतोष को संख्त अथवा बोथरी वस्तु लकड़ी से मारपीट किया जाना प्रमाणित होता है, जो कि स्वैच्छयापूर्वक पहुँचाई गई थी। ऐसी स्थिति में अभियुक्तों के विरुद्ध आहत जियालाल एवं संतोष को पहुँचाई गई चोटों के संबंध में भा.द.स. की धारा 323 का अपराध प्रमाणित होता है। अतः यह न्यायालय अभियुक्त मंशाराम, किशन एवं कालु को आहत जियालाल एवं संतोष के विरुद्ध किये गये अपराध के लिए भा.द.स की धारा 323/34 में दोषसिद्ध घोषित करता है। आहत जगदीश अ.सा. 2 के संबंध में किये गये अपराध के लिए अभियुक्तों को भा.द.स. की धारा 323/34 के अपराध में दोषमुक्त घोषित करता है।

**साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार**  
**विचारीय प्रश्न क्रमांक 1, 2 एवं 4 के संबंध में**

16. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त तीनों विचारणीय प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में फरियादी जियालाल अ.सा.1 का कथन है कि कि अभियुक्त कालु हमेशा गालिया दिया करता है। घटना वाले दिन भी वह गाली-गलोच कर रहा था तथा जान से मारने की धमकी दे रहा था, लेकिन साक्षी का यह कथन नहीं है कि अभियुक्तों द्वारा उसे लोक स्थान पर अश्लील शब्द कहे गये थे या गालिया देकर उसे क्षोभ कारित हुआ। साक्षी का यह भी कथन नहीं है कि अभियुक्तों द्वारा दी गई धमकी से उसे आपराधिक अभित्रास कारित हुआ अथवा अभियुक्तों द्वारा उसका रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित किया। ऐसी स्थिति में अभियुक्तों के विरुद्ध भा.द.स. की धारा 341, 294, 506 भाग-2 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है। अतः न्यायालय अभियुक्तों को भा.द.स. की धारा 341, 294, 506-भाग 2 के अपराधों से दोषमुक्त घोषित करता है।

17. चूँकि अभियुक्तों को भादस की धारा 323/34 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। प्रकरण की परिस्थिति को देखते हुए अभियुक्तों को परीविक्षा पर रिहा करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः सजा के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय स्थगित किया गया है।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बडवानी म.प्र.

**पुनश्च:**

18. सजा के प्रश्न पर अभियुक्तगण एवं उनके अधिवक्ता को सुना गया। उनका निवेदन है कि अभियुक्तगण गरीब, ग्रामीण, अशिक्षित हैं तथा विचारण का नियमित रूप से सामना किया है। अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये।

19. यह सही है कि अभियुक्तगण विचारण में नियमित रूप से उपस्थित रहे तथा विचारण का शीघ्रता से सामना किया है। अभियुक्तगण गरीब, ग्रामीण एवं अशिक्षित हैं। इसलिए अभियुक्तों को कारावास से दण्डित करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः न्यायालय अभियुक्त मंशाराम, कालु एवं किशन को आहत जियालाल एवं संतोष के विरुद्ध किये गये अपराध के लिए भा.द.स. की धारा 323/34 में न्यायालय उठने तक की सजा तथा रुपये 500/—, 500/— (2 शीर्ष) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित करता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने की दशा में अभियुक्तगण 7-7 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतेंगे। अभियुक्तों के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। अर्थदण्ड की राशि अदा करने पर उसमें से 500/—, 500/— रुपये आहतगण जियालाल एवं संतोष को प्रतिकर स्वरूप द.प्र.स. की धारा 357 के प्रावधान अनुसार प्रदान किये जाये।

20. अभियुक्तों के अभिरक्षा में रहने के संबंध में द.प्र.सं. की धारा 428 के प्रमाण पत्र बनाये जाये।

21. निर्णय की एक प्रति अभियुक्तों को अविलंब निःशुल्क दी जाये।

22. प्रकरण में जप्तशुदा दो बांस की लकड़ी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किये जाये। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बडवानी



**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)**

/// धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत ///

मैं श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला-बड़वानी म0प्र0 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 50/2012 (शासन पुलिस अंजड़ विरुद्ध मंशाराम आदि) में अभियुक्त की निरोध अवधि का प्रमाण पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ-

अभियुक्त का नाम :- किशन पिता माध्या धनगर, आयु 70 वर्ष,  
निवासी-धनगर मोहल्ला,  
ग्राम मण्डवाड़ा, तहसील अंजड़  
जिला-बड़वानी म.प्र.

गिरफ्तारी का दिनांक :- 08.02.2012

पुलिस रिमाण्ड की दिनांक :- निरंक

न्यायिक अभिरक्षा में अभियुक्त ने निरंक दिवस बिताये हैं।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला-बड़वानी, म0प्र0

